न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्याः– 12/03/2021

अपीलार्थीः–
श्री प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड, जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::–   दिनांकः– 12–01–2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 26–11–20 के माध्यम आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.01.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 72 दिनांक 11.01.21 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 26.11.20 के संबंध वांछित सूचना लोक प्राधिकरण से संबधित नहीं होने के कारण अपीलार्थी का प्रथम आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 1549–50 दिनांक 04.12.20 को सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर को अन्तरित की गई। तथापि प्रकरण में सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्रांक 170–71 दिनांक 04.01.2021 के माध्यम से भिजवाई जा चुकी है। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर के विरूद्व प्रथम अपील इस लोक प्राधिकरण अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 12.01.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर,अलवर